"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2011—पौष 24, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक ई 7-01/2007/1/2.—श्री एस. प्रकाश, अपर कलेक्टर, दुर्ग को दिनांक 22-11-2010 से 6-12-2010 तक (15 दिवस) का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20, 21 नवम्बर 2010 के राजपत्रित अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री प्रकाश को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रकाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्रमांक 02/2676/2010/1-8/स्था.—श्री प्रशांत लाल, शोध अधिकारी, 13वां वित्त आयोग सेल, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 4-12-2010 से 10-12-2010 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत लाल को शोध अधिकारी, 13वां वित्त आयोग सेल, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्रमांक 04/1110/2010/1-8/स्था.—श्री अमृत लाल लिखार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 27-12-2010 से 31-12-2010 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमृत लाल लिखार को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमृत लाल लिखार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्रमांक 06/1109/2010/1-8/स्था.—श्री सतीश पाण्डेय (रा.वि.से.), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 6-12-2010 से 10-12-2010 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सतीश पाण्डेय को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्रमांक 12/1137/2010/1-8/स्था.—श्री क्षेत्र सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, परिवहन विभाग को दिनांक 15-11-2010 से 27-11-2010 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री क्षेत्र सिंह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, परिवहन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री क्षेत्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 6-12/2010/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों को वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर वेतन बैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन रुपये 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उन्हें, उनके नाम के सामने कॉलम 3 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:—

स. क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
1.	श्री जी. सी. ओसवाल, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-4.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-4.
2.	श्री एफ. आर. नेताम, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, जगदलपुर वृत्त-2.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर वृत्त-2.
3.	श्री ए. आर. नाग, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, धमतरी वृत्त.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-3.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पदोन्नति) नियम, 2003" तथा उक्त नियमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-2/2001/1/3, दिनांक 11-02-2008 द्वारा जारी किये गए पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 6-30/2009/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित वाणिज्यिक कर निरीक्षकों को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 9300-34,800+ग्रेड वेतन रुपये 4300 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए, उन्हें नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के समक्ष कॉलम 4 में दर्शाये स्थान पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री थियोडोर तिग्गा	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर वृत्त-पांच.	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर वृत्त-पांच.
2.	श्री केरोविन इक्का	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी बिलासपुर वृत्त-1.	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायगढ़, वृत्त-1.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री लेओस वारा	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर वृत्त-आठ.	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी जगदलपुर, वृत्त-1.
4.	श्री तुला राम पडोती	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी राजनांदगांव वृत्त.	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी जगदलपुर वृत्त-दो.
5.	श्री मदनराम बडा	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी कोरबा वृत्त.	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी कोरिया वृत्त.
6.	श्री महेश सिंह ठाकुर	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी दुर्ग वृत्त-एक.	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर वृत्त-एक.
7.	श्री अरविंद पांडे	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर वृत्त-सात.	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर वृत्त-आठ.
8.	श्री संदीप यदु	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर वृत्त-नौ.	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी धमतरी वृत्त.
9.	श्री सदाराम सोनकर	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी दुर्ग वृत्त-चार.	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर वृत्त-चार.
10.	श्री दिलीप वर्मा	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर वृत्त-एक.	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर वृत्त-आठ.
11.	श्री पंकज नायक	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर वृत्त-तीन.	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर वृत्त-पांच.
12.	श्री गोपाल सिंह कोरेटी	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी दुर्ग वृत्त-तीन.	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी जगदलपुर वृत्त-दो.
13.	श्री सी. खलखो	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर, वृत्त-नौ.	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायगढ़ वृत्त-दो.
14.	श्री अशोक कुमार तिवारी	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर वृत्त-पांच.	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर वृत्त-तीन.
15.	श्रीमती रूत शालिनी मसीह	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी बिलासपुर वृत्त-एक.	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी कोरबा वृत्त.
16.	श्री गुलाब सिंग वर्मा	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर वृत्त-पांच.	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी महासमुन्द वृत्त.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003" तथा उक्त नियमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-2/2001/1/3, दिनांक 11-02-2008 द्वारा जारी किए गए पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता फीडर केडर में मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

संशोधन आदेश

क्रमांक एफ 6-30/2009/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-12-2010 के सरल क्रमांक 2 के स्तंभ क्रमांक-4 में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रायगढ़ वृत्त-1 के स्थान पर कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर वृत्त-1 पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. गुर्जर, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 6-231/2008/वाक (आब)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित आबकारी उपनिरीक्षक को सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर वेतन बैंड रुपये 9,300-34,800 एवं ग्रेड वेतन रुपये 4300 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सामने कॉलम-3 में दर्शाये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
1.	श्री राजीव लोचन भारद्वाज कार्यालय, उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता, रायपुर	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, जिला-जशपुर
2.	श्री रमेश कुमार तिवारी कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-रायपुर	कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-रायगढ़

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में "छ. ग. लोक सेवा आयोग (पदोन्नति) नियम, 2003" तथा उक्त नियमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-2/2001/1/3, दिनांक 11-02-2008 द्वारा जारी किये गए पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता फीडर केडर में मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. गुर्जर, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2010

क्रमांक 4900/बी-4-21/2007/14-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 26 (2) के खण्ड (3) के उप खण्ड (चार एवं छ:) में प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल में निम्नलिखित सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करती है :—

1. प्रो. मनहर ऑडिल, कृषि वैज्ञानिक, शंकर नगर, रायपुर
कृषि विकास के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाला प्रख्यात उद्योगपति या विनिर्माता हेतु.

2. श्री बिशेषर साहू, टोलागांव, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव
ग्रामीण उन्नति का पूर्वानुभव रखने वाली एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हेतु.

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल 03 वर्ष से अनाधिक होगा.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्रमांक 4912/एफ-08-03/2010/14-2.—विभाग के अधिसूचना क्रमांक 537/बी-14/12/2002/14-2 दिनांक 14-06-2002 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के संचालक मण्डल में निम्नलिखित कृषकों को सदस्य के रूप में नामांकित करता है :—

क्र.	क्षेत्र का नाम	कृषक का नाम
1.	छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र से	दाऊ श्री जयनारायण अग्रवाल (देवरी वाले) नयापारा, फूल चौक, रायपुर
2.	बस्तर का पठार से	श्री धनेश्वर नेताम, पो. बस्तर, जिला बस्तर, जगदलपुर
3.	उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र से	श्री राजकुमार जायसवाल, ग्राम करवा, विकासखंड सूरजपुर, जिला सरगुजा

उपरोक्त नामांकित सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 02 वर्ष के लिये प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ-5-8/दो/आठ-परि./2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 उपधारा (3) के खण्ड (ग-क) के अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा बिलासपुर, अंबिकापुर, रायपुर, जगदलपुर क्षेत्रान्तर्गत मंजिली गाड़ियों के संचालन हेतु निम्नानुसार सम्पूर्ण मार्ग या उसके भाग के लिए विनिश्चतकरण (Route Formulation) करती है :—

क्र. (1)	कहां से कहां तक (2)	व्हाया (3)
	बिलासपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत	
1.	चन्द्रपुर से सरायपाली	चंद्रपुर, बरमकेला, तौसीर, हट्टापाली, सिंघोड़ा मंदिर, सराईपाली
2.	टोंगरीपाली से चन्द्रपुर	लेन्ध्रा, बरमकेला, चन्द्रपुर
3.	सरईपाली से रायगढ़	सरईपाली, सिंघोड़ा मंदिर, हट्टापाली, तौसीर, बरमकेला, चन्द्रपुर, अमलडीही, नंदेली.
4.	कसडोल से बांकीमोंगरा	कोरबा, उरगा, पामगढ़, कुथुर, मुडपार, शिवरीनारायण, गिंधौरी
5.	कसडोल से चांपा	गिधौरी, राहौद, सेमरा, जांजगीर
6.	शिवरीनारायण से बांकीमोंगरा	खरोद, लोहर्सी, पामगढ़, कुटरा, कुथुर, जांजगीर, पथरिया, उरगा, कोरबा.
7.	सामर बहार से पत्थलगांव	रजपूरी, सीतापुर, राजापुर, कापू, गनपतपुर, पत्थलगांव
8.	इंचपारा से रायगढ़	खम्हार, धरमजयगढ़, सिसरिंगा, कयैा, घरघोड़ा, रायगढ़
9.	कुमरता से रायगढ़	बैरागी, कापू, गनपतपुर, पत्थलगांव, धरमजयगढ़, घरघोड़ा, रायगढ़
10.	विजयनगर से पत्थलगांव	कापू, किलकिला, पत्थलगांव
11.	धरमजयगढ़ से अंबिकापुर	खम्हार, कापू, विजयनगर, सीतापुर, बतौली, अंबिकापुर
12.	पोरथ से बसना	सरिया, बरमकेला, डोंगरीपाली, कालाखुटा, हट्टापाली, सिंघोड़ा, सरायपाली, बसना.

(1)	(2)	(3)
13.	बरमकेला से सरायपाली	लेन्ध्रा, हट्टापाली, सरायपाली
14.	बरमकेला से रायगढ़	सरायपाली, सिघोरा, हट्टापाली, तौसिर, चन्द्रपुर, अमलडिहा, नन्देलि, रायगढ़.
	अंबिकापुर संभाग क्षेत्रांतर्गत	
15.	वाड्रफनगर से गाजर	स्याहीमोड़, मरमा
16.	अंबिकापुर से सारंगढ़	बतौली, सीतापुर, कापू, धरमजयगढ़, छाल, खरसिया
17.	अंबिकापुर से सूरजपुर	सिंगीटाना, बेलखरीखा, लखनपुर, उदयपुर, केतका
18.	जशपुर से रामानुजगंज	सन्ना, डीपाडीह, शंकरगढ़, राजपुर, बलरामपुर
19.	अंबिकापुर से सनावल	सोनगरा, प्रतापपुर, धोंधा, वाड्रफनगर, गाजर, रामचन्द्रपुर
20.	अंबिकापुर से प्रेमनगर	सिलफिली, फतेहपुर, विश्रामपुर, सूरजपुर, कलुआ, देवनगर, श्रीनगर.
21.	अंबिकापुर से चांदो	करजी, शिवपुर, बेलखरीखा
22.	अंबिकापुर से महादेवडाड़	दरिमा, नवानगर, चिरगापारा, बतौली, विलासपुर, बांसाझाल, मैनीमोड़, विमड़ा.
23.	कुसमी से वाड्रफनगर	चांदो, भेदमी, बलरामपुर, रामानुजगंज, महाबीरगंज
24.	अंबिकापुर से करचा	राजपुर, बलरामपुर, सरनाडीह, पचावल, जवार, भेदमी, नवाडीह, चांदो.
25.	अंबिकापुर से लखनपुर	दरिमा, दमाली, पुट्टा, जमगवां, कुशु बेलदगी
26.	जामा से अंबिकापुर	लब्जी, कोटवारा, देवभुनु, लखनपुर
27.	अंबिकापुर से कोरजा	लहपटरा, लखनपुर, केनापारा,गुमगरा
28.	पारवजाम से जामा	बहराटिकरा, कुसु, लखनपुर, दुवमुनु, कोटपारा, लब्जी
29.	बड़गांव कला से जनकपुर	कसौड़ा, बड़वार, देवगढ़खोह, सनोहर, जुईसी, मैनपुर, करवा, रापा
30.	मनेन्द्रगढ़ से बड़गांवकला	कठौतिया, घुटरा, बिहारपुर, केल्हारी, जनकपुर, भगवानपुर, रापा, जुईसी, देवगढ़खोह, बड़वार, किसोड़ा.
	रायपुर संभाग क्षेत्रांतर्गत	
31.	देवभोग से बुधुपारा	घोघर, गंगराजपुर, सरगीगुड़ा, घोटागुड़ा (घुमरगुड़ा)
32.	देवभोग से कुमडई	खुर्द कुमडई, डूमरबाल, केन्दुवन
33.	देवभोग से खुर्द कुमडई	नवागुड़ा, दखनई, दईगांव, निष्टिगुड़ा
34.	सीटीबस हेतु	नगरघड़ी चौक, संतोषी नगर, टिकरापारा, छोटे बोरिया, कांदुल से टेकारी.
	जगदलपुर संभाग क्षेत्रांतर्गत	
35.	नारायणपुर से रायपुर	जगदलपुर, केशकाल, कोण्डागांव, धमतरी, अभनपुर
36.	नारायणपुर से राजनांदगांव	जगदलपुर, केशकाल, कोण्डागांव, धमतरी, अभनपुर, रायपुर, दुर्ग
37.	नारायणपुर से बिलासपुर	जगदलपुर, केशकाल, कोण्डागांव, धमतरी, अभनपुर, रायपुर, सिमगा, नांदघाट, सरगांव.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2010

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2011 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 9-108/दो-गृह/परीक्षा/2010.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 17 जनवरी से 22 जनवरी, 2011 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्त को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 17-01-2011

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

सोमवार, दिनांक 17-01-2011

6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्नपत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 18-01-2011

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना-पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना-पुस्तकों के)	
	मंगलवार, दिनांक 18-01-2011	
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	बुधवार, दिनांक 19-01-2011	
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

बुधवार, दिनांक 19-01-2011

(1)	(2)	(3)
22.	प्रश्नपत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा"	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 19-01-2011

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्नपत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	

गुरुवार, दिनांक 20-01-2011

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	

गुरुवार, दिनांक 20-01-2011

(1)	(2)	(3)
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	

गुरुवार, दिनांक 20-01-2011

(1)	(2)	(3)
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	

शुक्रवार, दिनांक 21-01-2011

(1)	(2)	(3)
45.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्नपत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 21-01-2011

(1)	(2)	(3)
51.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	
54.	तृतीय प्रश्नपत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लियें.	
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्नपत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
	शनिवार, दिनांक 22-01-2011	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

   इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 23-12-2010 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचि

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 10-32/2010/16.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार "असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल" का गठन करता है :—

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल

1.	पदेन अध्यक्ष	—	माननीय श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
2.	पदेन सदस्य सचिव	—	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन

राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों के सात प्रतिनिधि

1.	सदस्य	—	सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2.	सदस्य	—	सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग
3.	सदस्य	—	सचिव, वित्त विभाग
4.	सदस्य	—	सचिव, स्वास्थ्य विभाग
5.	सदस्य	—	सचिव, उद्योग विभाग
6.	सदस्य	—	महाप्रबंधक, जीवन बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
7.	सदस्य	—	श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

असंगठित श्रमिकों के सात प्रतिनिधि

1.	सदस्य	—	श्री ईश्वरसिंग चंदेल, अध्यक्ष, हम्माल मजदूर महासंघ, जेल रोड चौक, बिलासपुर
2.	सदस्य	—	श्री अशोक सिंह, विश्रामपुर, जिला-सरगुजा
3.	सदस्य	—	श्री मुक्तिकुमार दास, रिक्शा चालक संघ, फाफाडीह, रायपुर
4.	सदस्य	—	श्रीमती दुकलहीन बाई साहू, रेजा प्रतिनिधि, किसानपारा, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर
5.	सदस्य	—	श्री देवेन्द्र कौशिक, मितान चौक, सुभाष नगर, दुर्ग
6.	सदस्य	—	श्री कृपाराम साहू, खदान मजदूर प्रतिनिधि, ग्राम व पोस्ट तोरला, जिला-रायपुर
7.	सदस्य	—	प्रतिनिधि ठेला चालक ....

असंगठित श्रमिकों के नियोजकों के सात प्रतिनिधि

1.	सदस्य	—	श्री श्रीचंद सुंदरानी, चेम्बर ऑफ कामर्स, नवीन बाजार, रायपुर
2.	सदस्य	—	श्री सुनील बरमेचा, व्यवसायी, सदर बाजार, दुर्ग
3.	सदस्य	—	सरदार मनमोहन सिंग चावला, सस्ता किराया भंडार, फायर ब्रिगेड चौक, रायपुर
4.	सदस्य	—	श्री शंकर अग्रवाल, मुण्डरा बाड़ी, जिला-रायपुर
5.	सदस्य	—	श्री भीमसेन दुबे, सरिया, रायगढ़
6.	सदस्य	—	श्री राजेश पटेल, हड़गांव व्हाया बेमेतरा, जिला-दुर्ग
7.	सदस्य	—	श्री संतोष कटारिया, केशकाल, जिला-कांकेर

राज्य विधान सभा सदस्य के दो प्रतिनिधि

1.	सदस्य	—	श्री डमरूधर पुजारी, विधायक, बिन्द्रानवागढ़
2.	सदस्य	—	श्रीमती रजनी त्रिपाठी, विधायक, भटगांव अंबिकापुर

सिविल सोसाइटी के पांच प्रतिनिधि

1.	सदस्य	—	श्री प्रदीप शर्मा, कृषि विशेषज्ञ सेवा, रतनपुर, जिला-बिलासपुर
2.	सदस्य	—	श्री राधेश्याम देवांगन, सरस्वती शिक्षा संस्थान, रोहणीपुरम, बिलासपुर
3.	सदस्य	—	श्री अनिल चंद्राकर, अकाल मुक्ति केन्द्र, ग्रामीण संवाददाता, गरियाबंद, जिला-रायपुर
4.	सदस्य	—	श्री अनल प्रकाश शुक्ला, जागृति संस्थान, पत्रकार, सुंदरनगर, रायपुर.
5.	सदस्य	—	श्री जौहरीलाल शर्मा, भारतीय मजदूर संघ, चौबे कालोनी, उद्यान मार्ग, रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 13-8/खाद्य/2004/29.—छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के खण्ड 06 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 13-8/खाद्य/2004/29, दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे वर्णित अधिकारियों को अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन कार्यवाही करने के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

1. खाद्य विभाग के समस्त अधिकारी जो खाद्य निरीक्षक से निम्न पद के न हो.
2. राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी जो नायब तहसीलदार से निम्न पद के न हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप पंत, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 13-8/खाद्य/2004/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-12-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप पंत, सचिव.

Raipur, the 30th December 2010

No. F 13-8/Food/2004/29.—In exercise of the powers conferred by clause 6 of the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2004 and in supersession of the Previous Notification No. F 13-8/Food/2004/29 Dated 23rd December, 2004 the State Government hereby notifies the officers mentioned below to take necessary action under the provisions of said order within their respective jurisdictions, namely :—

1. All officers of the Food Department not below the rank of Food Inspector.
2. All officers of the Revenue Department not below the rank of Naib Tehsildar.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP PANT, Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 4-19/खाद्य/2005/29.—मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 4-19/खाद्य/2005/29, दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे वर्णित अधिकारियों को अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

1. खाद्य विभाग के समस्त अधिकारी जो खाद्य अधिकारी की श्रेणी से निम्न का न हो.
2. राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी जो तहसीलदार की श्रेणी से निम्न का न हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप पंत, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 4-19/खाद्य/2005/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-12-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप पंत, सचिव.

Raipur, the 30th December 2010

No. F 4-19/Food/2005/29.—In exercise of the powers conferred by clause (7) of sub clause (1) of the Motor Spirit and High Speed Diesel Oil (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005 and in supersession of the Previous Notification No. F 4-19/Food/2005/29, dated 16th December, 2005 the State Government hereby notifies the officers mentioned below to take necessary action under the provisions of said order within their respective jurisdictions, namely :—

1. All officers of the Food Department not below the rank of the Food Officers.
2. All officers of the Revenue Department not below the rank of the Tehsildar.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP PANT, Secretary.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्रमांक-एफ-1-19/2007/सात-3 पार्ट-तीन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (लिपिकीय तथा अलिपिकीय) सेवा, की भर्ती के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (लिपिकीय तथा अलिपिकीय) सेवा, की भर्ती नियम, 2010 कहलाएंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार;

(ख) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, सीधी भर्ती के लिये शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत सेवा में भर्ती के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा;

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26-12-1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख अराजपत्रित सेवा;

(ण) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति.—** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.—** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ के समय अनुसूची-एक में उल्लिखित पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों;

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.—** सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी.

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर या तो स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. **भर्ती का तरीका.—**

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या साक्षात्कार के द्वारा या दोनों के द्वारा सीधी भर्ती से;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा, जैसा कि अनुसूची-चार में दर्शित है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जैसा कि राज्य शासन द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों.

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, भर्ती की किसी भी विशेष कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा की किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित होने पर नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग से पूर्व परामर्श करने के बाद, सेवा में भर्ती संबंधी उन तरीकों को छोड़, जिनका उक्त नियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा जो इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित किए जाएं.

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिये मेरिट के आधार पर चयन के लिये मापदण्ड शासन द्वारा निर्धारित किये जा सकेंगे. तथापि, विभागाध्यक्ष द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित की जाएगी, जो इन मापदंडों से अन्यथा अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी.

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-6 में उल्लिखित भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती हेतु पात्रता की शर्तें.**— परीक्षा/चयन में स्पर्धा करने हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(एक) **आयु.**—

(क) अभ्यर्थी ने परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिवस को अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग का हो, तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 10 (दस) वर्षों तक की छूट दी जाएगी.

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छ. ग. शासन के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:

(1) ऐसा अभ्यर्थी, जो छ. ग. का स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(2) ऐसा अभ्यर्थी, जिसमें कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाला व्यक्ति तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति, में नियोजित व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन करता है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(3) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष की कालावधि भले ही वह अवधि एक से अधिक

बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणाम-स्वरूप जो आयु, निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो.

(4) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो.

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें;

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो.

(तीन) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) संविदा पूरी होने पर सेवा-मुक्त किये गये कर्मचारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(पांच) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवा-मुक्त किये गये अधिकारी;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक नहीं बन सकेंगे;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो.

(ङ) परिवार कल्याण (योजना) कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम दो वर्षों तक की छूट दी जाएगी.

(च) आदिमजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग विकास विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

(छ) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान या राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उंच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्षों तक शिथिलनीय होगी.

(ज) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्षों की आयु तक शिथिलनीय होगी.

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में आठ वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

टीप - (1) उपर्युक्त खण्ड (घ) (1) तथा (2) में उल्लिखित रियायतों के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्यागपत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाए तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे.

टीप - (2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी. विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी.

(ञ) उच्चतर आंयु सीमा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

(ट) किसी भी मामले में उपरोक्त उल्लिखित एक या एक से अधिक वर्ग के अन्तर्गत छूट का लाभ दिये जाने के उपरान्त भी शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं.**— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निर्धारित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जो की अनुसूची-तीन में दर्शाई गई हैं.

(तीन) **फीस.**— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **अनर्हता.**— अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**— परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी न किया गया हो.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.**—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें तीन सदस्य समाविष्ट होंगे.

(एक) सेवा में भरती के लिये परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करें.

(दो) परीक्षा शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जायेगी.

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती :—**

(एक) सेवा में भरती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे.

(दो) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा.

(तीन) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी.

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छ. ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) छ. ग. लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे.

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए, कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार पद आरक्षित रहेगा.

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.—**

(1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हैं, तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम शामिल किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य समाविष्ट होंगे.

परन्तु यदि नामांकित सदस्य, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में पदोन्नति/चयन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य से भिन्न है, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं तो उसी प्रास्थिति के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के वर्ग का एक सदस्य पदोन्नति/चयन समिति में शामिल किया जाएगा तथा पदोन्नति/चयन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी.

(2) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति उसके कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट पदों के लिए, अभ्यर्थियों की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार होगी तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

(3) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों से होगी, जो साधारणतया 1 वर्ष से अधिक की न हो.

14. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिये पात्रता की शर्तें.—**

(1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को अनुसूची-चार के कॉलम (4) में उल्लिखित पद पर या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया है, उतने वर्षों की सेवा (चाहे मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से) पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हों.

स्पष्टीकरण .— पदोन्नति के लिए पात्रता की संगणना की रीति.— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

(2) पदोन्नति के विषय में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण लागू होंगे.

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.—**

(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी, जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिये उपयुक्त समझे, सूची, चयन सूची के तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्यांशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी.

(2) पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिये मापदण्ड वरिष्ठता सह-उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे.

स्पष्टीकरण :— ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का दावा नहीं होगा.

16. **चयन सूची.—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शाए गए पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(2) जिस कैलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार की जायेगी, उसकी विधि मान्यता इसके तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक होगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा, और यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां छ. ग. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी.

(2) साधारणत: उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी गिरावट उत्पन्न न हो जाए, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो.

18. **परिवीक्षा:—** सेवा में सीधी भर्ती किया गया/पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्षों की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

19. **निर्वचन.—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

20. **शिथिलीकरण.—** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्यपाल को, ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने कीं, जो उसे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

21. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

22. **निरसन और व्यावृत्ति.—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार कुजूर, प्रमुख सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम-5 देखिये)

(वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या)

सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	छ. ग. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अन्तर्गत	
				पुनरीक्षित वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) तृतीय श्रेणी अराजपत्रित लिपिकीय					
1. अधीक्षक मुख्यालय	1+1=2	लिपिकीय	5500-9000	9300-34800	4300
2. अधीक्षक कार्यालय	18	तदैव	5000-8000	9300-34800	4200
3. शीघ्र लेखक-2	1	तदैव	5500-9000	9300-34800	4300
4. शीघ्र लेखक-3	4	तदैव	4500-7000	5200-20200	2800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. सहायक अधीक्षक, कार्यालय	4	लिपिकीय	4500-7000	5200-20200	2800
6. सहायक ग्रेड-1	7	तदैव	4500-7000	5200-20200	2800
7. सहायक ग्रेड-2	88	तदैव	4000-6000	5200-20200	2400
8. आशुलिपिक	5	तदैव	3050-4590	5200-20200	1900
9. सहायक ग्रेड-3	188	तदैव	3050-4590	5200-20200	1900
(2) तृतीय श्रेणी अराजपत्रित गैर लिपिकीय (वाहन चालक)					
10. वाहन चालक	9	अलिपिकीय	3050-4590	5200-20200	1900

अनुसूची-2
(नियम-6 देखिये)

भर्ती की प्रक्रिया

स. क्र.	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा नियम-6 (1) (ग) देखिए	टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा नियम-6 (1) (क) देखिए	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम-6 (1) (ख) देखिए		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अधीक्षक मुख्यालय	1+1=2	-	100 प्रतिशत	-	-
2.	अधीक्षक कार्यालय	18	-	100 प्रतिशत	-	-
3.	शीघ्रलेखक-2	1	-	100 प्रतिशत	-	-
4.	शीघ्रलेखक-3	4	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	-
5.	सहायक अधीक्षक, कार्यालय	4	-	100 प्रतिशत		वित्त विभाग छ. ग. शासन के समसंख्यक ज्ञापन क्र. 468/29/वि./नि./चार/2003, दिनांक 11-6-2003 में भू-अभिलेख विभाग के स्वीकृत सेटअप में निम्न-लिखित सहायक अधीक्षक एवं सहायक ग्रेड-1 दोनों का वेतनमान एक समान होने से यह अब पदोन्नत पद नहीं रह गया है. अतः सहायक ग्रेड-1 को भी सहायक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						अधीक्षक कार्यालय के समान अधीक्षक कार्यालय के रिक्त पद पर 5 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् पदोन्नत किया जायेगा.
6.	सहायक ग्रेड-1	7	-	100 प्रतिशत	-	तदैव
7.	सहायक ग्रेड-2	88	-	100 प्रतिशत	-	तदैव
8.	आशुलिपिक	5	100 प्रतिशत	-	-	तदैव
9.	सहायक ग्रेड-3	188	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत		चतुर्थ श्रेणी के ऐसे विभागीय कर्मचारी, जिन्होंने नियमित सेवा के 5 वर्ष पूर्ण कर लिये हों तथा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से हाई स्कूल की परीक्षा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की हो, पदोन्नति के पात्र होंगे.
अन्य सामान्य वर्ग						
10.	वाहन चालक	9	100 प्रतिशत	-	-	

अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखिये)

सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा तथा अर्हता

विभाग का नाम (1)	सेवा का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	निर्धारित शैक्षणिक अंर्हताएं (5)	टिप्पणियां (6)
राजस्व विभाग	शीघ्र लेखक	18 वर्ष	30 वर्ष (छ. ग. राज्य के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	(क) छ. ग. माध्यमिक शिक्षा मंडंल. छ. ग. से हाई स्कूल परीक्षा या शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण की हो. (ख) छ. ग. शीघ्र लेखन/मुद्रलेखन परिषद् अथवा शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी शीघ्र लेखन की परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से या हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र हो. (ग) कम्प्यूटर संचालन का बेसिक नालेज अनिवार्य होगा.	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	आशुलिपिक	18 वर्ष	30 वर्ष (छ. ग. राज्य के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	(क) मान्यता प्राप्त संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. (ख) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही हिन्दी शीघ्रलेखन में साठ शब्द प्रति मिनट की गति. आशुलिपिक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र हो तथा डाटा एंट्री का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए.	–
	सहायक ग्रेड–3	18 वर्ष	30 वर्ष (छ. ग. राज्य के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	(क) छत्तीसगढ़ मा. शिक्षा मण्डल से हाई स्कूल परीक्षा या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण हो. उल्लिखित नियमों के अनुसार ओ. आर. की पात्रता हो. (ख) छ. ग. शीघ्र लेखन/मुद्रलेखन परिषद् अथवा शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी शीघ्र लेखन की परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से या हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र हो. (ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र हो तथा डाटा एन्ट्री का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए.	–
	वाहन चालक	18 वर्ष	30 वर्ष (छ. ग. राज्य के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	(क) आठवीं उत्तीर्ण. (ख) ड्रायविंग लायसेंस रखता हो.	–

अनुसूची-चार
(नियम-14 देखिये)

विभाग का नाम	उस सेवा/पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	पात्रता की कालावधि	उस सेवा/पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजस्व विभाग	अधीक्षक (कार्यालय)	5	अधीक्षक (मुख्यालय)	1. अपर संचालक—अध्यक्ष 2. उप संचालक (सांख्यिकीय)—सदस्य 3. सहायक संचालक—सदस्य 4. लेखाधिकारी—सदस्य 5. अधीक्षक भू-अभिलेख—सदस्य
	सहायक अधीक्षक/ सहायक ग्रेड-1	5	अधीक्षक (कार्यालय)	
	सहायक ग्रेड-2	5	सहायक अधीक्षक/सहायक ग्रेड-1	
	सहायक ग्रेड-3	5	सहायक ग्रेड-2	
	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	5	शीघ्रलेखक वर्ग-2	
	आशुलिपिक	5	शीघ्रलेखक वर्ग-3	
	भृत्य	5	सहायक ग्रेड-3 (अनुसूची-2 के अनुसार)	

Raipur, the 23rd December 2010

No. F-1-19/2007/Seven-3 Part-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules, relating to the recruitment to the Chhattisgarh Land Record Class-III Non-Gazetted (Ministerial and Non-Ministerial) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Land Record Class-III Non-Gazetted (Ministerial and Non-Ministerial) Service, Recruitment Rules, 2010.

(2) These rule shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these, unless the context otherwise requires :—

(a) "Appointing Authority" means the State Government;

(b) "Selection Committee" means the Selection Committee approved by the Government for direct recruitment;

(c) "Examination" means the competitive examination held for recruitment in the service held under rule 11 of these rules;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

(e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh ;

(f) "Schedule" means the schedule appended the these rules ;

(g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article-341 of the Constitution of India ;

(h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article-342 of the Constitution of India ;

(i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification Number F-8-5-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time ;

(j) "Service" means the Chhattisgarh Land-Record Non-Gazetted, Service;

(k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.**— Without prejudice to the generality of the provision contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of Service .**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the Schedule-I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules ; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**—The classification of the Service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I :

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent basis or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.—**

(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment, by Competitive Examination or by interview or by both ;

(b) By promotion of member of Service as shown in Schedule-IV;

(c) By transfer/deputation of the persons, who hold in a substantive or officiating capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf by the State Government.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods for recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in service, as may be required to be filled

during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may, with prior concurrence of the General Administration Department, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) Criteria for Selection on merit basis for filling the post by direct recruitment shall be fixed by the Government. However Head of the Department should set up a selection committee which can adopt other reasonable criteria instead of these criteria with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued from time to time by General Administration Department shall be applicable.

7. **Appointment to the Service.**— All appointments to the service after commencement of these Rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**—In order to be eligible for compete at the examination/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

(1) **Age :—**

(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III, and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 (Five) years, if a candidate belongs to a Scheduled Castes/Scheduled Tribes or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 (Ten) years to a women candidate in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rule, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates; who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant of Chhattisgarh should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate, holding a temporary post, including work charged employees, person getting pay from contingency and person employed in Project Implementation committee, applies for any other post should not be more than 38 years of age.

(iii) A candidate who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation –The term "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.— The term "Ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service :—

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the condition of enrollment;

(iii) Ex- personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Employees (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short-service Regular Commissioned Officers);

(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies ;

(vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers ;

(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds, etc.

(viii) Ex-servicemen invalidated out of service.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of two years for those candidates who are holding Green Card under the Family Welfare (Planning) Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of superior caste partner of a couple awarded under the Inter-Caste Marriage Incentive scheme of the Scheduled Tribes, Scheduled Castes and Backward Classes Development Department.

(h) The general upper age limit shall be relaxable upto a maximum of five years in respect of the Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award and Maharaja Praveer Chand Banjdeo Samman or National Youth Awarded holder youth candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years and the instruction issued from time to time by General Administration Department regarding age limit will be applicable.

Note (1) - Candidates, who are admitted to the examination/selection under the concessions mentioned in clause (d) (i) and (d) (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the applications, they resign from service either before or after examination/selection. They will however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Note (2) - In no other case will these age limit be relaxed, Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the examination/selection.

(k) In respect to upper age limit, the directive of Appointing Authority issued from time to time will also be applicable.

(l) In any case the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(2) **Educational Qualifications.**—The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(3) **Fee.**— The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.**— Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for the examination/selection.

10. **Appointing authority's decision about the eligibility of the candidates shall be final.**— The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for appearing in examination/interview shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be allowed in the examination/interview.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination/Selection.**—

(1) Appointing Authority shall constitute a selection committee consisting of three members.

(i) The examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may determine, in consultation with the Government, from time to time.

(ii) The examination shall be conducted by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) **Direct Recruitment by Selection**—

(i) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may determine, from time to time;

(ii) The Selection of candidates shall be done by the Selection Committee based on their interview;

(iii) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment, in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and as per the orders issued by the Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relatives rank with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency in administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) At the stage of direct recruitment, thirty percent posts shall be reserved for women candidates in accordance with the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rule, 1997.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for filling up the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority, that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, then the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) There shall be reserved post for disabled candidates in accordance with the directions of the General Administration Department.

12. **List of candidates recommended by the Selection Committee.—**

(1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such standard, but are declared by the Committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency in administration shall be sent to the Appointing Authority. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order, in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Appointment by Promotion.—**

(1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates :

Provided that if the nominated member other than the member presiding the promotion/selection committee in respect of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the promotion/selection committee and the number of members of promotion/selection committee shall be extended to that limit.

(2) The promotion of the members of service specified in column (2) of Schedule-IV to the posts as specified in column (3) thereof, the eligibility of candidate, selection process and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time shall apply.

(3) The committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

14. **Conditions of eligibility for promotion/transfer.—**

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all who on 1st day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (4) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, and are within the Zone of consideration in accordance with the provisions of sub rule (2).

Explanation:— Method of calculation of eligibility for promotion —The calculation of the period of qualifying services on 1st January of the relevant year in which the Departmental Promotion Committee/Selection Committee is convened shall be counted from the calendar

year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) In the matter of promotion, the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 shall apply.

15. **Preparation of list of Suitable Candidates.—**

(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in Rule-14 and as are held by the Committee to be suitable for promotion/transfer to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement, and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The critaria for preparation of select list of persons for promotion shall be based on seniority subject to fitness.

(3) The names of employees included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list.

Explanation—The person, whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of list, shall have no claim of seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Selec list.—**

(1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form Select List for promotion of the members of the service from the posts specified in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (4) of the said Schedule.

(2) The select list for promotion shall be prepared in the calendar year which shall be valid up to one year from the date of its preparation :

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the Select List, a special review of the Select List may be made at the instance of the appointing authority and he may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the Service from the Select List.—**

(1) Appointment of the employees included in the select list to post borne on the cadre of the service shall follow in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before appointment of a person whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.**— Every person directly recruited/promoted to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.**— If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.**— Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other condition required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal and Saving.**— All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUNIL KUMAR KUJUR, Principal Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule-5)

(Classification, Scales of Pay and the number of posts included in the Service)

Names of the Posts included in the Service	Number of the Posts	Classification	Scales of Pay	Under C.G. revised pay rule 2009	
				Revised pay Band	Grade pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Class Three Non-Gazetted Clerical					
1. Superintendent HQ	1+1=2	Clerical	5500-9000	9300-34800	4300
2. Office Superintendent	18	Clerical	5000-8000	9300-34800	4200
3. Stenographer-2	1	Clerical	5500-9000	9300-34800	4300
4. Stenographer-3	4	Clerical	4500-7000	5200-20200	2800
5. Assistant Office Superintendent	4	Clerical	4500-7000	5200-20200	2800
6. Assistant Grade-1	7	Clerical	4500-7000	5200-20200	2800
7. Assistant Grade-2	88	Clerical	4000-6000	5200-20200	2400
8. Steno Typist	5	Clerical	3050-4590	5200-20200	1900
9. Assistant Grade-3	188	Clerical	3050-4590	5200-20200	1900
(2) Class Three Non-Gazetted Non-Clerical (Driver)					
10. Driver	9	Non-Clerical	3050-4590	5200-20200	1900

SCHEDULE-II
(See Rule-6)

Procedures of Recruitment

Sl. No.	Name of the Service	Total Number of Posts	Percentage of the posts to be filled up		Through temporary transfer of individuals from other services See Rule 6 (C)	Remarks
			Through Direct Recruitment See Rule-6 (1)	Through Promotion of the Members of the Service See Rule 6 (B)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Superintendent HQ	1+1=2	-	100 Per cent	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Office Superintendent	18	-	100 Per cent	-	
3.	Stenographer-2	1	-	100 Per cent	-	
4.	Stenographer-3	4	50 Per cent	50 Per cent	-	
5.	Assistant Office Superintendent	4	- -	100 Per cent	No more does it remain a Promotional post following the set up approved by the Land Record department in which the pay scales of both the Assistant Superintendent and the Assistant Grade I are made equal vide the Memorandum No. 468/29/bi/ni/four/2003 dt. 11-06-2003 of the Department of Finance, Govt. of Chhattisgarh. Hences, as the Assistant Office Superintendent, Assistant Grade I too will be promoted to the vacant post of the Office Superintendent after completing 5 years of service.	
6.	Assistant Grade-1	7	-	100 Per cent	--do--	
7.	Assistant Grade-2	88	-	100 Per cent	-	
8.	Steno Typist	5	100 Per cent	-	-	
9.	Assistant Grade-3	188	75 Per cent	25 Per cent	Those departmental class four employees will be eligible for promotion who have completed five years of regular service and have passed the High School examination under the Chhattisgarh Secondary Education Board or any recognized institution in the Higher Secondary Examination (10+2) system.	
Other General Category						
10.	Driver	9	100 per cent	-	-	

SCHEDULE-III
(See Rule-8)

Age limit and eligibility for the direct recruits

Name of the Department (1)	Name of the Service (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Prescribed educational qualification (5)	Remarks (6)
Revenue Department	Stenographer	18 years	30 (35 years for domicile residence of Chhattisgarh State)	(A) Have passed the High School examination under the Chhattisgarh Secondary Education Board or any government recognized institution in the Higher Secondary Examination (10+2) system. (B) Have the certificate of passing the Stenography examination in Hindi with the speed of 100 words per minute or typist examination in Hindi with the speed of 25 words per minute from any institution under the Chhattisgarh Steno/typist Council or any government recognized institution. (C) Basic knowledge in computer operation is essential.	
	Steno Typist	18 Years	30 (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(A) Have passed the Higher Secondary School Certificate Examination from recognized Institution or have passed 1st year of Graduate Degree Course. (B) Have passed Hindi Typing Examination with the speed of 25 words per minute from recognized board/institution along with having the speed of 60 words per minute in Hindi. Steno-Typist and have the 1 year diploma/certificate from recognized institute in Data Entry operation/programming and the speed of data entry should be 5000 key depression per hour.	
	Assistant Grade-3	18 Years	30 (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(A) Have passed the High School examination under the Chhattisgarh Secondary Education Board or any government recognized institution in the Higher Secondary Examination (10+2) system. OR eligibility as per rules; mentioned. (B) Have the certificate of passing the Stenography examination in Hindi with the speed of 100 words per minute or typist examination in Hindi with the speed of 25 words per minute from any	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				institution under the Chhattisgarh Steno/typist Council or any government recognized institution.	
				(C) Have the 1 year diploma/certificate from recognized institute in Data Entry operation/programming and the speed of data entry should be 5000 key depression per hour.	
	Driver	18 Years	30 (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(A) 8th passed (B) Have the driving license.	

SCHEDULE-IV
(See Rule-14)

Name of the Department (1)	The name of the Service/Post from which promotion is to be made (2)	Period of eligibility (3)	The name of the Service/Post to which promotion is to be made (4)	Names of the members of the Departmental Promotion Committee (5)
Revenue Department	Superintendent (Office)	5	Superintendent (HQ)	1. Additional Director — Chairman 2. Deputy Director (Statistical) — Member 3. Assistant Director — Member 4. Accounts Officer — Member 5. Superintendent Land Record. — Member
	Assistant Superintendent/Assistant Grade-1	5	Superintendent (Office)	
	Assistant Grade-2	5	Assistant Superintendent/ Assistant Grade-1	
	Assistant Grade-3	5	Assistant Grade-2	
	Stenographer Grade-3	5	Stenographer Grade-2.	
	Steno Typist	5	Stenographer Grade-3	
	Peon	5	Assistant Grade-3 (As per Schedule-II)	

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र./12339/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	बुद्धूभरदा प. ह. नं. 5	0.72	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	केशला एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्रमांक 21 क/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	औराईकला प.ह.नं. 38	3.307	कार्यपालन यंत्री (सिविल) भू-अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत राखड़ पाइप लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

क्रमांक 56/क/अविअ/भू.अ./6 अ-82 वर्ष 09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-बालसी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.78 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	756	0.57
	757	0.47
	758	0.36
	759	0.04
	760	0.34
	764/1	1.55
	764/3	0.49
	764/5	0.54
	765	0.42
योग	9	4.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा पाईप लाईन स्टेशन निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

क्रमांक/57/अविअ/भू-अर्जन/01 अ/82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-सिरपुर, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.23 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	358	0.06
	361	0.05
	360	0.21
	368	0.11
	371	0.79
	372	0.01
योग	6	1.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पर्यटन एवं पुरातात्विक स्थल सिरपुर में मोटल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 1 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 8/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-कुकरीचोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-63.31 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
249/3	0.50
249/4	0.50
250	0.18
251/1	0.25
251/2	0.22
252	0.90
253	0.38
254/1	0.80
254/2	0.79
255	0.30
256/1 क/1	1.00
256/1 क/2	0.20
256/1 ग	0.30
256/1 घ/2	0.14
256/1 ख	0.26
256/1 छ	0.20
256/1 घ/1	0.20
256/1 ङ	1.06
256/1 घ/3	0.20
256/2	0.12
256/3	0.14
258/1	0.38
258/2	0.70
234	0.55
235	3.90
236	0.10
238	0.90
239	0.10
240/1	0.80
240/2	0.30
240/3	0.70
240/4	0.80
240/5	0.54
240/6	1.50
241/1	3.07
241/2	0.93
243/1, 243/2	0.85
244	0.58
245	0.57
246	3.12
247/1	0.32
247/3	0.70
247/4	0.58
247/5	0.43
247/6	0.82
248	0.68
249/1	1.00
249/2, 258/3	1.35
561/1	0.10
563/1, 582/1, 582/4	1.20
563/2, 582/2	0.73
563/3	0.15
564	0.22
565, 566, 578/1	2.32
569	0.15
568/2	0.14
260/1	0.45
260/4 घ	0.17
260/11	0.15
283/1	0.70
283/5	0.25
576	0.07
577	0.90
578/2	0.30
579/1	0.17
579/2	0.54

(1)	(2)
579/3, 579/7, 579/9	0.35
579/4, 579/6, 579/8	0.70
581	0.15
583	0.64
584/1	0.75
584/2	0.18
584/3	0.50
585	0.94
586/1	0.84
586/2	0.45
586/3	0.58
586/4	0.46
587	1.40
579/5	0.08
247/2	0.60
282/1	0.84
282/2	0.84
282/3	0.35
282/5	0.28
588	7.08
589	0.14
591	0.08
580/1	0.04
582/3	1
580/2	0.07
योग	63.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-संब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाईन की स्थापना किये जाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 9/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-81.19 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
3/1	0.25
6/1	0.65
6/2	0.58
6/4	0.45
10/2	0.70
10/3	0.75
10/4	0.19
10/5	0.75
10/6	0.88
10/7	0.24
10/8	0.30
10/9	0.31
10/10	0.31
10/11	0.19
10/12	0.19
10/13	0.13
11	0.37
13	0.58
14	0.10
16/1	0.60
16/2	0.30
16/3	0.45
16/4	0.45
17/1	0.14
18/3	1.14
17/2	0.10
18/4	1.34
18/1	1.20
18/2	0.33
18/5	0.50
18/6	0.33
19/1	1.60
19/2	1.60
19/3	1.70
19/4	1.02
20/1	1.13

(1)	(2)
20/2	1.02
20/3	1.03
20/4	1.27
20/5	0.32
21/1	1.10
21/2	0.41
21/3	0.69
22/1	0.72
22/2	0.66
22/3	1.16
22/4	0.50
22/5	2.66
23/1	0.66
23/2	0.24
24/1	2.45
24/2	2.60
25	7.02
26/1	0.73
26/3	0.75
26/4	0.66
27/2	0.35
28/2	1.85
28/3	0.50
30	0.08
31	0.15
32/4	0.35
32/2	0.56
32/3	0.35
33/1	0.05
33/2	0.24
34/1	0.84
34/2	0.82
34/3	1.20
34/4	0.12
34/5	0.61
34/6	0.75
35/1	0.42
44/2	0.35
45	0.32
46	0.40
46/1	0.04
47/2	0.29
47/3	0.27
47/4	0.20
47/5	0.36
49	0.32
50	0.37
51/1	0.08
54/2	0.18
55/1 ख	0.28
55/2 ख	0.20
506/2	0.40
510/2	1.21
510/1	0.70
510/3	0.31
511	0.04
514/1	2.82
514/2	0.10
516/6	0.10
515/1	1.18
515/2	0.36
516/1	0.85
516/2	0.10
518	2.06
516/3	0.50
516/4	0.57
516/5	0.20
516/7	0.20
517	0.26
519/2	0.04
26/5	0.57
26/2	0.37
32/1	1.39
32/5	0.56
32/6	0.35
28/1	0.73
34/7	0.83
47/1	0.04
48/1	1.30
48/2	0.32
513	0.14
37/1	0.05
51/2	0.24
योग	81.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाईन की स्थापना किये जाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-कमेला, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.106 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	49/30	0.162
	146/12	0.405
	160/4	0.324
	147/2	0.486
	159	0.231
	146/11	0.162
	146/8	0.405
	61/2	0.688
	134	0.243
योग	9	3.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ग्राम कमेला के डूब में छूट गये निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-खरसिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.903 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
471/6	0.263
471/10	0.073
474/5	0.065
426/1	0.016
419/1	0.018
421/2	0.028
506/4	0.105
420	0.024
411/1	0.008
484/3	0.121
506/1	0.020
503/4	0.016
74/2	0.045
82/3	0.053
82/4 ख	0.024
88	0.024
102/11	0.008
102/2	0.008
102/1	0.008
182/6	0.006
444/3	0.002
418/2	0.012

(1)	(2)
471/14	0.028
473/1	0.020
474/3	0.049
426/2 क	0.013
421/1	0.028
484/2	0.121
509/5	0.405
478/7	0.008
412/1	0.008
506/2	0.020
422	0.077
504	0.182
75/11	0.089
75/27	0.020
102/9	0.012
89/3	0.024
106	0.004
102/6	0.004
102/5	0.004
182/3	0.008
471/589	0.008
424/1	0.012
471/5/1	0.105
474/1	0.394
426/2 ख	0.016
426/3	0.032
419/2	0.036
505/3	0.223
511/4	0.170
478/1 घ	0.008
482/4	0.538
505/2	0.020
502	0.061
503/2 ख	0.081
75/3	0.016
82/5	0.020
82/6	0.024
102/10	0.008
182/1	0.004
102/7	0.004
102/8	0.004
443/3	0.004
418/1	0.028
424/2	0.016
योग 65	3.903

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-खरसिया बायपास क्र. 2 के लिए भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-तेलीकोट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
676/4	0.085
योग	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-खरसिया बायपास क्र. 2 के लिए भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र.-3 अ/82 वर्ष 09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-लिमतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
251	0.03
252	0.12
योग	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नांदघाट-लिमतरा एनीकट योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बैकुण्ठपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्रमांक/14352/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चरवाही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
114, 115, 103, 251, 73, 126, 124	0.24
योग	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सड़क चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रितु सेन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचि

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

संशोधन

क्रमांक क/18009/भू-अर्जन/2010.—ग्राम ओड़ेकेरा, प. ह. नं. 01, तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा, छ. ग. में 229.04 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा-6 का प्रकाशन दिनांक 15 सितम्बर 2010 को कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छ. ग. एवं पदेन उप सचिव छ. ग. शासन, राजस्व विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसका प्रकाशन शासकीय राजपत्र भाग-1 के पेज नं. 1319, 1320, 1322 एवं 1324 दिनांक 24-09-2010 में हुआ है, जिसे संशोधन पश्चात् निम्नानुसार पढ़ा जाये :—

पूर्व में प्रकाशित

खसरा नम्बर		रकबा (एकड़ में)	
(1)		(2)	
90/9	(अस्पष्ट)	0.11	
107/5	(अस्पष्ट)	0.20	
107/6	(अस्पष्ट)	0.20	
108	(अस्पष्ट)	1.28	
109/1	(अस्पष्ट)	0.90	
109/2	(अस्पष्ट)	1.00	
109/3	(अस्पष्ट)	0.88	
109/4	(अस्पष्ट)	0.60	
109/5	(अस्पष्ट)	0.20	
318/2		0.47	
374/1 ब		0.41	
349/5		22	
कुल रकबा		229.04	(प्रकाशित)

संशोधित प्रकाशित

खसरा नं.		रकबा (एकड़ में)
(1)		(2)
90/9	(स्पष्ट)	0.11
107/5	(स्पष्ट)	0.20
107/6	(स्पष्ट)	0.20
108	(स्पष्ट)	1.28
109/1	(स्पष्ट)	0.90
109/2	(स्पष्ट)	1.00
109/3	(स्पष्ट)	0.88
109/4	(स्पष्ट)	0.60
109/5	(स्पष्ट)	0.20

(1)	(2)	
348/2	0.47	
374/1 ग	0.41	
349/5	0.22	
कुल रकबा	229.08	(संशोधित प्रकाशित)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जनवरी 2011

संशोधन

क्रमांक/135/भू-अर्जन/2010.—ग्राम सिंघीतराई, प. ह. नं. 01, तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा, छ. ग. में 392.99 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा-6 का प्रकाशन दिनांक 15-09-2010 को कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा छ. ग. एवं पदेन उप-सचिव छ. ग. शासन, राजस्व विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसका प्रकाशन शासकीय राजपत्र भाग-1 के पेज नं. 1314, 1315 एवं 1319 दिनांक 24-09-2010 में हुआ है, जिसे संशोधन पश्चात् निम्नानुसार पढ़ा जाये :—

पूर्व में प्रकाशित

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)	
(1)	(2)	
241/5	0.06	
241/6	0.06	
241/7	0.06	
284/6	0.46	
293/2	0.75	
394/555	0.23	(अस्पष्ट)
कुल रकबा	392.99	(अस्पष्ट)

संशोधित प्रकाशित

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)	
(1)	(2)	
341/5	0.06	
341/6	0.06	
341/7	0.06	
384/6	0.46	
393/2	0.75	
394/555	0.23	(स्पष्ट)
कुल रकबा	392.99	(स्पष्ट)

अशोक कुमार तिवारी,
अपर कलेक्टर.